DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--DATED----------------------

अमर उजाला

वृक्षों के प्रतिरोपण पर रोक के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा डीडीए

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट से उप वन संरक्षक (डीसीएफ) के उस पत्र को रद्द करने का अनुरोध किया जिसमें इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बरसाती पानी निकालने के लिए द्वारका सेक्टर-8 में नाले के निर्माण के मकसद से 600 से अधिक वृक्षों के प्रतिरोपण संबंधी अनुमति को स्थगित रखे जाने की बात कही गई है।

डीडीए ने कहा कि 88.56 करोड़ रुपये की लागत वाली इस

एयरपोर्ट से बरसाती पानी को निकालने के लिए नाले के निर्माण का मामला

परियोजना के लिए दिल्ली सरकार के उप वन संरक्षक (पश्चिम वन प्रभाग) से 637 पेड़ों के प्रतिरोपण और 56 अन्य की कटाई के लिए अनुमति की आवश्यकता है। डीडीए ने कहा कि पहले अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इसे 29 जून के डीसीएफ के पत्र के माध्यम से मनमाने ढंग से स्थगित कर दिया गया है, जिससे सार्वजनिक परियोजना की प्रगति अनिश्चित काल के लिए ठप पड़ गई है।

millenniumpost
NEW DELHI | FRIDAY, 29 JULY, 2022

DDA urges HC to quash DCF's letter putting in abeyance permission to transplant 600+ trees

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) Thursday urged the Delhi High Court to quash a letter from the Deputy Conservator of Forests putting in abeyance the permission granted for transplantation of over 600 trees for the construction of stormwater drain at Dwarka's sector-8 to cater to water discharge from the Indira Gandhi International Airport.

DDA said the project, costing Rs 88.56 crores, required permission from the Deputy Conservator of Forests (West Forest Division) of the Delhi government for the transplantation of 637 trees and felling of 56 others.

While the permission was earlier granted, it has now been arbitrarily put in abeyance through a June 29 letter of DCF, thereby stalling the progress of the public project indefinitely, DDA said, adding that as per the correspondence, the permission will only be granted after further orders of the high court in a contempt case in which permission for felling of trees has been restricted on April 28.

'The project required permission from the Deputy Conservator of Forests (West Forest Division)'

Justice Yashwant Varma noted that since another bench of the high court is closely monitoring the tree felling matter, the present petition be also listed before Justice Najmi Waziri on July 29, subject to the orders of the Chief Justice.

During the hearing, Justice Varma said, there is a complete ban, it does not give me any window to tinker .

Additional Solicitor General Sanjay Jain, representing DDA, said he was only seeking permission for transplantation of trees that are fully grown adult trees and even the site for transplantation has already been identified.

The counsel said a crucial and significant public project has been arbitrarily stalled.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NA नई दिल्ली। शुक्रवार • 29 जुलाई • 2022 राष्ट्रीय सहारा --DATED--

...तो क्या आजादी का अमृत महोत्सव से पहले बेघर हो जाएंगे 150 से ज्यादा लोग!

■ अमित कुमार

नई दिल्ली। एसएनबी

अंग्रेजों ने जिस घर में रहने की आजादी दी थी, अब उस घर को उजाड़ने का फरमान डीडीए ने जारी कर दिया है। अगर इस फरमान पर अमल होता है तो 15 अगस्त को मनाये जाने वाले 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले यमुना बाजार के पास बसे 30 घाटों के डेढ़ सौ से ज्यादा परिवार बेघर हो जाएंगे।

यमुना बाजार पर बने घाटों के मकानों पर डीडीए ने ध्वस्त किए जाने का चस्पा किया नोटिस

10 अगस्त से चलेगा अतिक्रमण हटाया जाएगा

इस इलाके में रहने वाले लोगों के पास बिजली-पानी के बिल, आधार कार्ड,वोटर आई कार्ड आदि मौजूद

आजादी का अमृत महोत्सव पर यहां रहने वाले लोगों को यह तोहफा मिलेगा। इन लोगों के घरों पर डीडीए के उद्यान विभाग की ओर से एक नोटिस चस्पा किया गया है, जिस पर लिखा है कि 10 अगस्त (2022) से यहां अतिक्रमण हटाने के लिए डेमोलिशन अभियान चलाया जाना है। इससे पहले आप अपना सामान, छप्पर, खोखे, अवैध मकान आदि समय रहते डीडीए की जमीन से हटा लें।

इस नोटिस के बाद यहां रहने वाले लोगों की नींद उड़ी हुई है और 'यमुना घाट पंडा एसोसिएशन' ने उपराज्यपाल, डीडीए के चेयरमैन, निदेशक उद्यान विभाग, एमपी डा. हर्षवर्धन और स्थानीय एमएलए प्रह्लाद सिंह साहनी को पत्र भेजकर बेघर करने वाले इस नोटिस से लोगों को निजात दिलाने की मांग की है। 'यमुना घाट एसोसिएशन' के सदस्य राकेश कुमार ने बताया कि यहां के घाटों पर अंग्रेजों के जमाने से उनके पूर्वज रहते आ रहे हैं और इसका उन लोगों के पास दस्तावेज भी है। इतना ही नहीं इससे पहले वर्ष 2006 में भी इस तरह का मामला उठा था, उस समय एसोसिएशन के लोग कोर्ट में गए। कोर्ट ने हमारी मांगों पर गौर करते हुए कहा कि यहां रहने वाले लोगों को हटाने से पहले तीन सौ मीटर के दायरे में बसाया जाए। उस समय डीडीए ने कहा था कि हमारे पास जगह नहीं थी और मामला ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन अब एक बार फिर अचानक से 25 जुलाई को उनके घरों पर डीडीए की ओर से एक नोटिस चस्पा कर दिया गया कि यह जमीन डीडीए की और यहां हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए 10 अगस्त से डेमोलिशन अभियान शुरू किया जाएगा, इससे पहले इस जमीन को खाली कर दें। 'यमुना घाट पंडा एसोसिएशन' ने बताया कि उन लोगों के पास वर्ष 1925-30 के समय का कागज मौजूद है, जो बताता है कि यह जमीन हमारी है। वर्षों से बिजली, पानी के बिल भर रहे हैं। राशन कार्ड से लेकर वोटर कार्ड, आधार कार्ड बने हुए हैं। ऐसे में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्यों उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यही आजादी का अमृत महोत्सव है, जब हमें उजाड़ा जा रहा है। इस बारे में डीडीए के अधिकारी ने कहा कि यह नोटिस डीडीए के एसटीएफ की ओर से जारी किया गया है और पीड़ित पक्ष के लोग नोटिस के साथ मिलने आए थे। उनसे कहा गया है अगर आप के पास यहां रहने के कागजात हैं तो जो प्राधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए आएंगे उन्हें दिखा दीजिएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------------------------------------DATED---------------------

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022 दैनिक जागरण

पेड़ काटने को लेकर डीडीए ने हाई कोर्ट में किया आवेदन

जासं, नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पेड़ काटने की अनुमति पर रोक लगाने के आदेश को रद करने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में आवेदन किया है। उप वन संरक्षक ने द्वारका में 635 पेड़ों के प्रत्यारोपण और 56 पेड़ों की कटाई के आदेश पर रोक लगाई थी।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि हाई कोर्ट की एक अन्य पीठ पेड़ काटने के मामले की निगरानी कर रही है, इसलिए वर्तमान याचिका को भी मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अधीन 29 जुलाई को न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति ने कहा कि पेड़ों की कटाई पूरी तरह से बैन है, ऐसे में इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। डीडीए की तरफ से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि केवल उन पेड़ों के प्रत्यारोपण की अनुमति मांग रहे थे जो पूरी तरह से वयस्क हैं। प्रत्यारोपण के लिए जगह की पहचान पहले ही की जा चुकी है।

6 दैनिक जागरण नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022 दिल्ली/ एनसीआर जागरण www.jagran.com

घर चाहने वालों के लिए डीडीए की पहले आओ-पहले पाओ नीति शीघ्र

अगस्त में दिल्ली विकास प्राधिकरण लांच कर सकता नई आवासीय नीति

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

- शामिल होंगे वैसे 13,000 फ्लैट जो पूर्व की योजनाओं में आवंटियों ने कर दिए थे वापस
- केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने डीडीए के प्रस्ताव पर दी सैद्धांतिक मंजूरी
- बनेंगे नई नीति के नियम, कोई भी व्यक्ति, संस्था बिना ड्रा के खरीद सकेगा फ्लैट

> आवासीय योजना को लेकर मंत्रालय ने सकारात्मक रुख दिखाया है। सप्ताह भर में तस्वीर साफ हो जाएगी। योजना सभी के लिए खुली होगी। नए नियमों के साथ जल्द ही योजना लांच करने की कोशिश रहेगी।
> -वीएस यादव, आवास आयुक्त, डीडीए

पहली बार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के फ्लैट सभी के लिए उपलब्ध होने जा रहे हैं। इन्हें कोई भी खरीद सकेगा, वह भी पसंद से और बिना किसी ड्रा के। जी हां, पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर डीडीए अपनी नई आवासीय योजना अगस्त के आखिर तक लांच कर सकता है। इस योजना में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में स्थित करीब 13,000 फ्लैट शामिल हैं।

डीडीए की पिछली चार आवासीय योजनाओं में शामिल फ्लैट बड़ी संख्या में बचे हुए हैं। वर्ष 2014, 2017, 2019 और 2021 की योजनाओं में शामिल रहे इन फ्लैटों की संख्या करीब 13,000 है। डीडीए ने इन्हीं फ्लैटों को बेचने के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को पहले आओ, पहले पाओ की स्कीम पर आवासीय योजना निकालने का प्रस्ताव भेजा था। आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि मंत्रालय ने योजना पर सैद्धांतिक रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है। सप्ताह भर में ही नई आवासीय नीति के नियमों को लेकर भी तस्वीर साफ हो जाने की उम्मीद है। नई योजना उन्हीं जगहों पर लागू होगी, जहां पिछली योजनाओं में 50 प्रतिशत से ज्यादा फ्लैट नहीं बिक पाए थे। फ्लैटों की बिक्री सभी के लिए खुली रहेगी। चाहे कोई व्यक्ति लेना चाहे या संस्था, कोई राज्य सरकार लेना चाहे या विभाग, कोई स्वायत्त संस्थान खरीदना चाहे या कोई और। कोई एक फ्लैट भी ले सकेगा और कई भी। ऐसी भी शर्त नहीं रहेगी कि जिसके पास पहले से घर या फ्लैट हो, वह आवेदन नहीं कर सकता।

अधिकारियों ने बताया कि योजना लांच होने के बाद इसमें शामिल फ्लैट, जिसे जो पसंद आए, डीडीए को आवेदन कर तय अग्रिम भुगतान कर सकता है। इसके बाद डीडीए उसे डिमांड नोट जारी कर देगा। इसके तहत आवंटी को फ्लैट की पूरी राशि का भुगतान करने के लिए तीन माह का समय दिया जाएगा। पूरी राशि का भुगतान होने पर डीडीए कब्जा पत्र जारी कर देगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI FRIDAY, JULY 29, 2022 --------DATED---------------------

Allow transplantation of 600 trees for building stormwater drain in Dwarka: DDA to HC

Abhinav.Garg@timesgroup.com

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) on Thursday urged Delhi High Court to permit it to transplant over 600 trees for the construction of a stormwater drain in Dwarka to cater to water discharge from Indira Gandhi International Airport.

The authority said the public project, costing Rs 88.56 crore, required permission from the Deputy Conservator of Forests (West Forest Division) of Delhi government for transplantation of 637 trees and felling of 56 others. While permission was granted "in principle" earlier, it was arbitrarily revoked on June 29 citing a high court order banning tree felling, stalling the progress of the project indefinitely.

"Does it entail felling of trees? There is a complete ban as per the HC order and gives me no window to tinker with it," justice Yashwant Varma said during the hearing. The judge noted that since another bench of the high court was closely monitoring the matter, the present petition should also be listed before Justice Najmi Waziri on July 29, subject to the orders of the Chief Justice.

DDA said the forest department had said that permission would only be granted after further orders of the high court in a contempt case in which permission for felling of trees was restricted on April 28.

Additional Solicitor General Sanjay Jain, representing DDA, submitted that permission was being sought only for transplantation of fully grown trees and even the site for it had been identified. DDA's plea through advocate Prabhsahay Kaur said an application was made to the DCF on November 2, 2020, seeking permission for felling of trees/translocation and on May 17, 2022, the permission was granted.

The petitioner had made all arrangements for transplantation and arranged for 6,930 saplings of specific varieties of trees and also deposited Rs 3.95 crore as directed by the DCF.

It was claimed by DDA that the high court's April 28 order was grossly misinterpreted by the DCF and the court had not directed a blanket ban on transplantation or felling, particularly not for public projects. It contended that the flawed interpretation would effectively lead to a complete ban on the implementation of public projects in Delhi.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS— THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI FRIDAY, JULY 29, 2022 ——DATED——

CR Babu's Model Of Converting Barren Areas In Delhi Into Thriving Biodiversity Parks Is Now Being Replicated In Other States & Countries

THE GREEN DOCTOR WHO RESTORED DELHI'S LUNGS

Priyangi.Agarwal@timesgroup.com

Pics: TOI

FLOCK THERAPY: The biodiversity parks developed by CR Babu now attract a variety of wildlife, including birds, reptiles and insects. Species given up as lost have reappeared and once-barren wetlands are teeming with life

When CR Babu was given the charge to make a biodiversity park on the banks of the Yamuna in Delhi in 2001, he was appalled that the 156 acres of land only had some salt-loving bushes and common weeds.

Babu, then Delhi University pro-vice-chancellor and head of the Centre for Environment Management of Degraded Ecosystems (CMEDE) under the university, found the underground water to be highly saline even at the depth of 20 feet at Jagatpur village, where the park was supposed to be made.

Today, looking at the Yamuna Biodiversity Park, it is hard to imagine that it is man-made and it came out of such barrenness. The park is the first of its kind globally.

Babu took up the project as a challenge and an opportunity. It has paid off. The park is now home to thousands of forest communities, fruit-yielding species and medicinal herbs, biologically rich wetlands and hundreds of animals, birds, butterflies and insects.

"We recruited scientists with the help of the Delhi Development Authority and studied the river basin stretch from Allahabad in Uttar Pradesh to Haridwar in Uttarakhand to identify plant species along the stretch," Babu said.

"After 40-45 plant communities were identified, their saplings were planted at the site," he said. For two years, success eluded the team as "most of the plant species died because of the excessive salt".

"We then found some grass species in a saline area and the grass improved the soil from 12 pH to 7 pH. It made the soil neutral. It took almost 10 years to develop these three-storey forest communities with a tree canopy as high as 45 feet," Babu said.

"We desilted the wetlands and used the material for landscaping and introduced aquatic plant species. In the first year of restoration of the wetlands, thousands of migratory birds arrived here," Babu added.

The park now attracts a large number of wild animals, birds and insects. Species of birds that were given up as lost have returned to the park, such as the black crowned night heron that has reappeared in the Tamarix and Phragmites plantations on the shallow wetland.

The restored Tamarix-Saccharaum community also attracted a leopard in 2016. Hog deer, which was abundant in Delhi but lost, has made the park its home. Similarly, the Seibold snake Ferania sieboldii, lost some 70-80 years ago, was seen in the wetlands.

The national capital now has seven biodiversity parks, which have been developed on such barren land. "It was a difficult task to create these parks. The Aravalli Biodiversity Park has been developed on a rocky habitat. Similarly, the Kamla Nehru Ridge, Tughlakabad Biodiversity Park and others had a lot of challenging problems such as monkey menace, invasive species and human disturbances," Babu, who is 81 and continues to steer the Biodiversity Parks Programme, said.

These biodiversity parks are the lungs of Delhi, one of the world's most polluted cities. The three-storey-forest canopy helps in filtering pollutants, particularly PM1 and PM2.5, from both point and nonpoint sources. They buffer the local weather conditions and help in carbon sequestration as a huge quantity of carbon is stored in the soil. They also recharge groundwater and store floodwater: 1.4 million gallons of rain was harvested by the seven biodiversity parks during the monsoon last year.

"The plant resources can be used for drug development. They provide recreation to the public and students get practical environmental education at these parks," Babu said.

Other states have started following the biodiversity park model for their cities. "The Union ministry of environment and forest and climate change has directed all chief ministers to create biodiversity parks in each state capital and all district headquarters. Many states, including Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Chhattisgarh have started making the parks. Our staff in the biodiversity parks are providing guidance to officials of these states," Babu said.

"Sri Lanka and Bangladesh have also developed biodiversity parks," he added.

The idea of the biodiversity park was born in 2001 when at a conference organised by the Delhi environment department, Babu threw light on the acute loss of biodiversity. His speech on the extinction of local species attracted the attention of then Lieutenant Governor Vijai Kapoor.

Faiyaz Khudsar, the scientist in charge of the Biodiversity Parks Programme at CMEDE, said maintaining biodiversity parks is an uphill task. "After restoration, it requires long-term monitoring for its survival. For instance, if any of the species is increasing in number, it is necessary to address the issue.

It is difficult as one has to monitor it early in the morning and late in the night," he said.

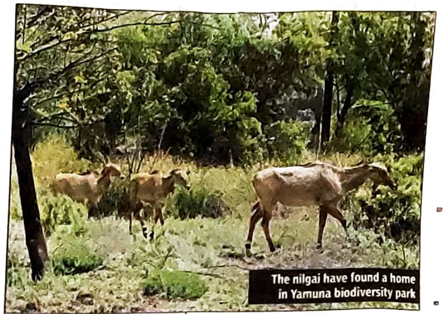

The nilgai have found a home in Yamuna biodiversity park

STRIKE RATE: 7 PARKS IN 20 YRS

- Delhi Development Authority (DDA) in collaboration with Centre for Environment Management of Degraded Ecosystems (CMEDE) has developed seven biodiversity parks in Delhi in the past two decades
- The model of biodiversity parks of Delhi is being adopted in different states of the country and in the Indian sub-continent

WHY DELHI NEEDS THESE PARKS

Many reasons, including urban sprawl, climate change, air and water pollution, population pressure, habitat loss, land degradation & deforestation

VALUABLE ECOLOGICAL SERVICES ON OFFER

- Effective filter for both point and non-point source of air pollution
- Recharge ground water and store flood water. Contribute to rejuvenation of rivers
- Major sink for carbon dioxide and store huge carbon stocks. Buffer local weather conditions

- Serve as a natural habitat for vanishing flaura and fauna. Harbour a rich environment microbiome
- Rich plant resources can be used for developing drugs
- Platform for research on ecosystem, environmental education
- Recreation to public and promote eco-tourism

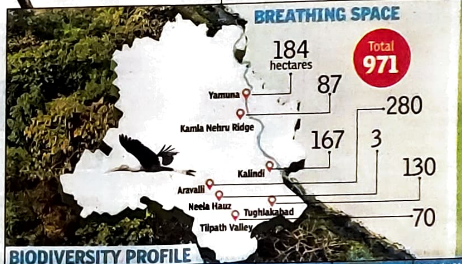

BIODIVERSITY PROFILE

Biodiversity Park	Yamuna		Aravalli		Neela Hauz		Tilpath Valley		Kamla Nehru Ridge		Tughlakabad		Kalindi
Year of creation	2002	2019	2005	2019	2016	2019	2015	2019	2015	2019	2016	2019	2020
Terrestrial Plants	90	874	150	950	90	115	156	481	87	415	30	155	38
Aquatic Plants	0	99	0	31	20	20	0	3	4	20	0	8	9
Avifauna	37	202	42	209	100	131	81	125	64	71	112	112	80
Butterflies	11	80	13	113	15	40	21	55	31	46	35	44	25
Herpetofauna	3	18	8	31	6	7	14	15	8	11	18	28	4
Mammals	4	22	5	19	3	4	5	7	7	7	9	9	2
Fishes	0	18	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	2

LET INDIA INSPIRE YOU...

To watch a video of Indian innovation meeting sustainability in a Ladakh ice café, scan this QR code:

Or visit www.timesofabetterindia.com for more such inspiring stories.

Join the conversation
Are biodiversity parks enough to mitigate the growing levels of air pollution in your city
Share your view on f 🐦 ◎ in using
#TheTimesofaBetterIndia

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS हिन्दुस्तान DATED २9/7/22

शुल्क वृद्धि पर विवाद

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर धार्मिक आयोजनों की बुकिंग राशि में कई गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। इसका रामलीला मंचन से लेकर दुर्गा पूजा और गणेश पूजा का आयोजन करने वाली समितियों ने विरोध शुरू कर दिया है। कई रामलीला समितियां इस बढ़ोतरी के विरोध में आठ अगस्त को बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर रही हैं। उन्होंने दिल्ली के उप राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। कार्यालय संवाददाता की रिपोर्ट

धार्मिक आयोजनों के बुकिंग शुल्क बढ़ने पर घमासान तेज

इतना तो मंचन का बजट भी नहीं

डीडीए मैदान में रामलीला का मंचन करने वाली विष्णु अवतार रामलीला कमेटी, शास्त्री पार्क के महासचिव दिवाकर पांडेय ने कहा कि डीडीए की ओर से दस लाख रुपये की सिक्योरिटी राशि मैदान बुकिंग के लिए तय की गई है। यह हमारे जैसी समितियों के लिए देना संभव नहीं है। रामलीला का बजट ही कुछ लाख का होता है। डीडीए का यह कदम समितियों को हतोत्साहित करने वाला है। डीडीए अपने इस फैसले को वापस ले।

650 स्थानों पर दिल्ली में रामलीला का आयोजन होता है

500 से ज्यादा दुर्गा पूजा समितियां पंजीकृत हैं

150 के करीब गणेश पूजा के पंडाल लगते हैं

मैदान नहीं किया बुक

जीटीबी एंक्लेव स्थित श्रीराम लीला समिति के महामंत्री हरीश रावत ने कहा कि अभी तक डीडीए मैदान की बुकिंग नहीं की है। डीडीए ने सिक्योरिटी राशि बहुत बढ़ा दी है। तीन महीने पहले मैदान बुक करना पड़ता है। इसमें समय भी लगता है। ऐसे में बढ़ी सिक्योरिटी राशि कहां से दें।

शुल्क बढ़ा पर गंदगी कोई नहीं उठाता

द्वारका सेक्टर-10 में रामलीला करने वाली द्वारका श्री रामलीला सोसायटी के चेयरमैन राजेश गहलोत ने आरोप लगाया कि डीडीए की ओर से सफाई को लेकर 33 हजार रुपये का शुल्क लिया जाता है, जबकि समिति पूरे मैदान की सफाई कराती है। ऐसे में सिक्योरिटी राशि बढ़ाना पूरी गलत है। साथ ही, आयोजन के दौरान मैदान में कचरे के निपटान के लिए एफ्लूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) लगाना भी संभव नहीं है। आयोजन के लिए डीडीए को खाली जमीन की इतनी सिक्योरिटी राशि नहीं लेनी चाहिए।

दुर्गा पंडाल लगाने वाले भी खफा

चितरंजन पार्क में दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाले और ईबीडीपी एसोसिएशन के संयुक्त सचिव तमल रक्षित ने कहा कि डीडीए की तरफ से धार्मिक आयोजन को लेकर जो शर्तें रखी हैं, उसके अनुसार पूजा करना संभव नहीं है। अगर दस लाख रुपये जमा करेंगे तो दुर्गा पूजा नहीं कर पाएंगे। मैदान के अंदर खाना बनाने पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही ताजे पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसे में पूजा के लिए प्रसाद कैसे बनाएंगे। इसे लेकर एलजी को पत्र लिखने जा रहे हैं।

एलजी से बैठक बुलाने का अनुरोध

लालकिला मैदान में रामलीला का मंचन करने वाली श्री धार्मिक लीला कमेटी के प्रेस सचिव रवि जैन ने बताया कि हमारी ओर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जमीन पर लीला का मंचन किया जाता है। डीडीए का यह फरमान यहां पर लागू नहीं होता है। हालांकि, मैदान की बुकिंग के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन रामलीला मंचन से जुड़े समस्त मुद्दों के समाधान के लिए उपराज्यपाल से सभी निकायों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है, ताकि रामलीला मंचन से जुड़ी सभी समस्या दूर हो सके।

गणेश पूजा का आयोजन कैसे करें

लक्ष्मी नगर स्थित बैंक एंक्लेव के डीडीए मैदान में गणेश पूजा पंडाल लगाने वाले श्री गणेश सेवा मंडल दिल्ली के संस्थापक अध्यक्ष महेंद्र लड्डा ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए रियायत दी जानी चाहिए, लेकिन यहां डीडीए द्वारा उल्टा कदम उठाया गया है। 31 अगस्त से गणेश पूजा शुरू होनी है। एक दिन पहले बुकिंग का विकल्प खोला गया है। अगर डीडीए इतनी राशि पूजा समितियों से लेगा तो ऐसे में बड़े स्तर पर पूजा करना संभव नहीं है। डीडीए बढ़ी राशि तुरंत वापस ले।

बवाल क्यों : शर्तें न मानीं तो 10 लाख की सिक्योरिटी होगी जब्त

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। डीडीए ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रक कमेटी (डीपीसीसी) के दिशा-निर्देश का हवाला देते हुए खुले स्थान और पार्कों में रामलीला, दुर्गापूजा या अन्य किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों के आयोजन के लिए 10 लाख रुपये की सिक्योरिटी राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। अगर किसी भी धार्मिक आयोजन में कूड़ा-करकट, प्लास्टिक या अन्य किसी प्रकार की गंदगी फैलाई गई तो ये 10 लाख रुपये वापस नहीं किए जाएंगे। इसी नियम को लेकर तमाम समितियां खफा हैं।

ये नियम अनिवार्य

- किसी भी प्रकार के आयोजन के दौरान खुले में खाना नहीं बन सकते।
- आयोजन के दौरान मैदान में प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए एफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) लगाना होगा।
- मैदान की हरियाली को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए।
- इस दौरान इस्तेमाल होने वाले पानी को रिसाइकिल कर फिर से इस्तेमाल करना होगा।

इन पार्कों में बढ़ी कई गुना राशि

पार्क-स्थान	पहले	अब
रोहिणी सेक्टर 7	2	10
रोहिणी सेक्टर 11-12	2	10
सीबीडी ग्राउंड कड़कड़डूमा	3	30
हर्ष विहार, पटपड़गंज	2	12

पहले और अब की राशि लाख में

भाजपा ने जताई आपत्ति

मामले में दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। पत्र में सिक्योरिटी राशि वापस करने और अव्यावहारिक शर्तें हटाने की मांग की है। कपूर ने कहा कि एनजीटी के आदेश की आड़ में यह वृद्धि की है।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का काम अधर में लटका

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माण से जुड़ी बाधाएं दूर नहीं हो पा रही हैं। सभी विभागों से एनओसी मिलने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की प्राथमिकता वाला प्रोजेक्ट अब जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद में फंसा है। ताजा मामला दिल्ली की सीमा में स्वामी महावीर पार्क (कैलाश नगर) की जमीन को लेकर है, जिसको लेकर डीडीए और नगर निगम अपना-अपना दावा कर रहे हैं।

डीडीए ने एनएचएआई से रिकॉर्ड के आधार पर करीब तीन करोड़ रुपया का मुआवजा उठा लिया है। जबकि एमसीडी का दावा है कि मौजूदा समय में पार्क उसके कब्जे में है। मुआवजे पर उसी का अधिकार बनता है। इसके चलते चार महीने बाद भी एनएचएआई को जमीन नहीं मिल पाई है।

सूत्रों के मुताबिक, एमसीडी मुआवजे के लिए पार्क पर दावा जरूर कर रही है, लेकिन कोई लिखित दस्तावेज एनएचएआई और स्थानीय जिला प्रशासन को मुहैया नहीं करा पाई है। रिकॉर्ड न होने की स्थिति में भी एमसीडी के अधिकारी निर्माण को रोके हुए हैं, जिससे पीएमओ की प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हो सका है। प्रोजेक्ट में हो रही देरी को लेकर एनएचएआई के अधिकारी चिंतित हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट को अंतिम रूप से तैयार करने की समय सीमा मार्च 2024 रखी गई है, जिसकी पीएमओ कार्यालय गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से नियमित समीक्षा कर रहा है।

पार्क में बनने हैं चार पिलर

एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए चार पिलर स्वामी महावीर पार्क में आएंगे लेकिन विवाद के बीच निर्माण रुका हुआ। अब अगर प्रोजेक्ट मार्च 2024 तक तैयार करना है, जिसके लिए अभी निर्माण शुरू करना जरूरी है। एनएचएआई ने पिलर के साथ ही निर्माण कार्य से जुड़ी सामग्री रखने के लिए कुल 9968 वर्ग मीटर जमीन मांगी है, जिसमें 697 वर्ग मीटर जमीन एनएचएआई के पास रहेगी। बाकी को निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लौटा दिया जाएगा। इसमें भी पार्क की जमीन सिर्फ 279 .78 वर्ग मीटर की है लेकिन यही जमीन रुकावट का कारण बन गई है। पहले चरण के निर्माण के लिए दिसंबर 2020 में टेंडर स्वीकृत हुआ लेकिन अभी तक निर्माण शुरू नहीं हो पाया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ हिन्दुस्तान ------DATED 29/7/22

पेड़ काटने की अनुमति के लिए कोर्ट पहुंचा डीडीए

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। डीडीए ने गुरुवार को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा परिसर से बारिश के पानी की निकासी के लिए द्वारका सेक्टर-8 में नाला बनाने के लिए पेड़ों के काटने और प्रत्यारोपण की अनुमति पर रोक लगाने के उप वन संरक्षक के आदेश को रद्द करने की मांग की है। डीडीए को अपनी इस परियोजना के लिए 637 पेड़ों के प्रत्यारोपण और 56 को काटने की जरूरत है।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने डीडीए की याचिका पर विचार करते हुए कहा कि न्यायालय की एक अन्य पीठ पेड़ों के संरक्षण और काटने की अनुमति देने से संबंधित मामले की बारीकी से निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में इस मामले की सुनवाई भी उसी पीठ के समक्ष किया जाना चाहिए। न्यायालय ने डीडीए की याचिका को जस्टिस नज्मी वजीरी की पीठ के समक्ष 29 जुलाई की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

डीडीए ने याचिका में कहा है कि 2 नवंबर 2020 को उप वन संरक्षक एक आवेदन देकर पेड़ों को काटने और प्रत्यारोपित करने की अनुमति मांगी गई थी। 17 मई 2022 को उप वन संरक्षक ने 637 पेड़ों को प्रत्यारोपित करने और 56 पेड़ों की काटने की अनुमति भी दे दी। इसके बदले में 6,930 पौधरोपण किया जाना था। साथ ही कहा गया कि विशिष्ट किस्मों के पेड़ों के 6930 वृक्षारोपण के लिए व्यवस्था की गई और डीसीएफ के निर्देशानुसार 3.95 करोड़ रुपये भी जमा किए गए थे। लेकिन डीसीएफ ने 29 जून को पत्र जारी कर अपने 17 मई 2022 के आदेश को वापस ले लिया। डीडीए ने इस आदेश को रद्द करने की मांग की है।

परियोजना ठप पड़ने का हवाला दिया

डीडीए ने याचिका में उप वन संरक्षक के इस आदेश को मनमाना बताते हुए कहा कि इसकी वजह से सार्वजनिक परियोजना की प्रगति अनिश्चित काल के लिए ठप पड़ गई है। डीडीए की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल संजय जैन ने न्यायालय को बताया कि वह सिर्फ उन पेड़ों को प्रत्यारोपित करने की अनुमति मांग रहे हैं जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। साथ ही कहा कि इसके लिए जमीन भी चिन्हित की जा चुकी है।

यमुना किनारे बसी कॉलोनियों को राहत देने की तैयारी में डीडीए

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली में यमुना डूब क्षेत्र का दायरा कम करने की तैयारी की जा रही है। मास्टरप्लान-2041 में इस बावत सिफारिश की गई हैं, जिसके आधार पर डीडीए की ओर से प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय मंत्रालय को भेजा गया है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही डूब क्षेत्र का दायरा कम कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यमुना किनारे 2015 से पहले बसी कॉलोनियों को राहत मिलेगी।

डीडीए द्वारा मास्टरप्लान 2041 के मास्टर प्लान में यमुना के डूब क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटने की सिफारिश की गई है। यमुना के करीब 1 किमी के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण की इजाजत नहीं होगी। यह शर्त 2021 तक के मास्टरप्लान में 3 किलोमीटर तक थी। बीते कुछ सालों में यमुना किनारे तेजी से निर्माण कार्य हुए हैं, जिसके चलते नए मास्टरप्लान में इन इलाकों को छूट देकर नियमित करने की बात कही जा रही है। इसी प्रकार की मांग बीते कई दिनों से भाजपा नेताओं की ओर से की जा रही है।

अधिकारियों के मुताबिक केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद पूरे यमुना तट की मैपिंग की जाएगी। जिसके बाद सभी कॉलोनियों या अन्य पक्के निर्माणों की जिओ लोकेशन तैयार की जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद कॉलोनियों में मालिकाना हक दिए जाने का काम किया जाएगा।